न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–80 / 2020 (2020 / 00363) दर्ज दिनांक 05.08.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. मुख्तार अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद कुरेशी निवासी उदयपुर (राज0)
2. नजमुननिशा पुत्री स्व0 अब्दुल हमीद कुरेशी निवासी उदयपुर (राज0)
3. बहारूननिशा पुत्री स्व0 अब्दुल हमीद कुरेशी निवासी उदयपुर (राज0)
4. महरूननिशा पुत्री स्व0 अब्दुल हमीद कुरेशी निवासी उदयपुर (राज0)
5. कमरूननिशा पुत्री स्व0 अब्दुल हमीद कुरेशी निवासी उदयपुर (राज0)
   स्वयं एवं जरिये मुख्तियार आम मुख्तार अहमद

——प्रार्थीगण

बनाम

1. सहायक अभियन्ता , सार्वजनिक निर्माण विभाग, गंगापुर तहसील सहाड़ा।
2. श्रीनाथ वे ब्रिज धर्मकांटा , प्रोपराईटर श्री अशोक युगलिया निवासी बागपुरा तहसील सहाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री मनोहरलाल बापना

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांकः–26.02.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम बाघपुरा पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4 रकबा 0.3500 हे0, 5 / 1 रकबा 0.1130 हे0, 6 / 1 रकबा 0.1750 हे0, 7 / 2 रकबा 0.1700 हे0, 8 रकबा 0.0300 हे0, 9 रकबा 0.0800 हे0, 10 रकबा 0. 6900 हे0, 11 / 2 रकबा 1.1700 हे0, 12 / 399 रकबा 0.2400 हे0, 13 / 416 रकबा 1. 0900 हे0, 15 / 400 रकबा 0.0800 हे0, 16 / 401 रकबा 0.0800 हे0, 17 / 402 रकबा 0. 0800 हे0, 19 / 403 रकब 0.0500 हे0, 20 / 404 रकबा 0.2000 हे0, 21 / 405 रकबा 0. 3600 हे0 कुल किता 16 कुल रकबा 4.9380 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या .... पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:33:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण द[illegible] विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 2 बावजूद [illegible] के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये ग[illegible] विपक्षी संख्या 1 व [illegible]र उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 व 3 औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128

प्रकरण संख्या :–80 / 2020 (2020 / 00363)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम बाघपुरा पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4 रकबा 0.3500 हे0, 5 / 1 रकबा 0.1130 हे0, 6 / 1 रकबा 0.1750 हे0, 7 / 2 रकबा 0.1700 हे0, 8 रकबा 0.0300 हे0, 9 रकबा 0.0800 हे0, 10 रकबा 0.6900 हे0, 11 / 2 रकबा 1.1700 हे0, 12 / 399 रकबा 0.2400 हे0, 13 / 416 रकबा 1.0900 हे0, 15 / 400 रकबा 0.0800 हे0, 16 / 401 रकबा 0.0800 हे0, 17 / 402 रकबा 0.0800 हे0, 19 / 403 रकब 0.0500 हे0, 20 / 404 रकबा 0.2000 हे0, 21 / 405 रकबा 0.3600 हे0 कुल किता 16 कुल रकबा 4.9380 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या .... पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1350 / – (एक हजार तीन सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1350 / – (एक हजार तीन सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:33:30 IST
Reason: SelfAttested